संख्या:- 06 /2025/ 131 /छिहत्तर-1-2025-कम्प्यूटर सं0- 1618585

प्रेषक

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 21 जनवरी, 2025

विषयः 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में वन विभाग की आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु देय प्रीमियम की धनराशि तथा प्रीमियम पर लीज रेन्ट से छूट प्रदान किया जाना ।

महोदय,

जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में वन विभाग की आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाये जाने एवं विद्युत ट्रांन्समिशन लाइन के कार्य कराये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या-666/14-2-600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 की व्यवस्थाओं के अधीन देय प्रीमियम की धनराशि तथा प्रीमियम पर लीज रेन्ट से छूट प्रदान किये जाने विषयक अपने पत्र संख्या-2295/2024/Tech-01 दिनांक 18-09-2024 एवं पत्र संख्या-3989/W-17(NOC-Forest)/2024-25/Tech-01 दिनांक 08-01-2025 एवं उसके साथ संलग्न उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन ग्यारवां तल, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-II/MISC/618/2010/UP/Part-III/963 दिनांक 03-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्मित करायी जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधीन आरक्षित वन भूमियों पर पाइप लाइन बिछाई जाने एवं विद्युत ट्रांन्समिशन लाइन के कार्य कराये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-666/14-2-600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम की धनराशि तथा उक्त पर वार्षिक लीज रेन्ट (प्रीमियम धनराशि का 10 प्रतिशत) जमा न करने के कारण उक्त कार्यो हेतु सहमति प्राप्त नही हो सकी है।

3- प्रकरण में सम्यक विचारोपरांत / सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरांत जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए पाइप पेयजल योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की आरक्षित वन भूमि में पाइप लाइन बिछाये जाने एवं विद्युत ट्रांन्समिशन लाइन के कार्य कराये जाने हेतु पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-666/14-2-600 (51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1999 के प्राविधानों के सापेक्ष अधिरोपित प्रीमियम की धनराशि एवं प्रीमियम की धनराशि पर 10 प्रतिशत लीज रेन्ट से छूट प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
Ambrish Kumar Singh
भवदीय,
Date: 21-01-2025 17:11:04

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः- 06 /2025/ 131 (1)/छिहत्तर-1-2025- कम्प्यूटर सं0- 1618585 तद्‌दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
7. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अरण्य भवन, लखनऊ।
8. उप वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन ग्यारवां तल, सेक्टर-एच0, अलीगंज, लखनऊ।
9. गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/3/1/2025-सी0एक्स0(1) दिनांक 18 जनवरी, 2025 के क्रम में।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
(ओम प्रकाश चौहान)
Om Prakash Chauhan
अनु सचिव
Date: 21-01-2025 17:56:57